भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5048

दिनांक 1 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत ट्रेड नेट और निर्यात संवर्धन मिशन

5048. श्री यदुवीर वाडियारः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत ट्रेड नेट और निर्यात संवर्धन मिशन जैसी पहलें, विशेषकर अभियांत्रिकी क्षेत्र के निर्यातकों को कितना लाभ पहुंचाएंगी;

(ख) सरकार द्वारा वैश्विक स्तर पर बढ़ती संरक्षणवादी व्यापार नीतियों से भारतीय निर्यातकों की सुरक्षा के लिए तैयार की जा रही विशिष्ट रणनीतियां क्या हैं;

(ग) सरकार की एमएसएमई निर्यातकों को वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी चुनौतियों से उबरने में सहायता के लिए क्या योजना है;

(घ) क्या सरकार ने भारत के अभियांत्रिकी निर्यात बाजारों का विस्तार करने के लिए नए व्यापार समझौते किए हैं या साझेदारी को बढ़ावा दिया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं ?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) निर्यात संवर्धन मिशन का समन्वय एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ वाणिज्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य निर्यात ऋण अभिगम योग्यता, सीमा–पार व्यापार के लिए फैक्टरिंग और गैर–प्रशुल्क बाधाओं से उभरने से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना है, जिसमें एमएसएमई को सहायता देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। विचार–विमर्श में एक्जिम बैंक, ईसीजीसी, सिडबी, सीजीटीएमएसई, एनसीजीटीसी और निर्यात संवर्धन परिषदों और कमोडिटी बोर्डों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

इसके साथ ही, भारत ट्रेड नेट (बीटीएन) पहल से व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण मे सहायता करने, अबाधित डेटा विनिमय की सुविधा देने और व्यापार वित्त तंत्र में पारदर्शिता में सुधार होने की उम्मीद है। इससे प्रक्रियात्मक अवरोधों को कम करने, दस्तावेजी कार्यक्षमता को सुधारने और विलंब संबंधी अनुपालन को कम करने में विशेषतः एमएसएमई के निर्यातकों को मदद होगी।

(ख) बढ़ती वैश्विक रूढ़िवादी व्यापार नीति से निपटने के लिए, सरकार भारतीय निर्यातकों की सुरक्षा के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रही है। इनमें बाजार अभिगम का विस्तार और निर्यात गंतव्यों में विविधता लाना, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव के माध्यम से प्रशुल्क और गैर–प्रशुल्क बाधाओं को दूर करना और नए व्यापार अवसर बनाने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों पर वार्ता करना शामिल है। प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमों और डिजिटल व्यापार सुविधा पहलों के तहत निर्यात सहायता को भी मजबूत किया जा रहा है। निर्यात निष्पादन की लगातार निगरानी की जाती है और

भारतीय निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों और विदेश में स्थित भारतीय मिशनों के समन्वय में सुधारात्मक उपायों को लागू किया जाता है।

(ग) वित्तीय और लॉजिस्टिकल चुनौतियों से उबरने के लिए एमएसएमई निर्यातकों को मदद करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक पहलों का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो निम्नानुसार हैं:–

(i) एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई की अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि की सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आइसी) स्कीम को लागू कर रहा है। इस स्कीम के तहत पात्र केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों के साथ–साथ उद्योग संघों को प्रतिपूर्ति के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, मेलों और क्रेता–विक्रेता बैठकों में एमएसएमई को भागीदारी की सुविधा प्रदान करती है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन में भी सहायता करती है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना है। आइसी स्कीम का एक नया घटक अर्थात् पहली बार निर्यातकों की क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई) जून 2022 में शुरू किया गया है, जिसके तहत नए सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) निर्यातकों को निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के साथ पंजीकरण–सह–सदस्यता प्रमाणन (आरसीएमसी), निर्यात बीमा प्रीमियम और निर्यात के लिए परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन पर हुए लागत की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

(ii) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ऋण गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम–क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी), स्फूर्ति, जेडईडी, इनक्यूबेटर, लीन, आइपीआर, खरीद और विपणन स्कीम (पीएमएस) शामिल हैं, जो एमएसएमई को उनकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में भी सहायता करती हैं।

(iii) देश भर में 65 निर्यात सुविधा केन्द्रों (ईएफसी) की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य एमएसएमई को अपने उत्पादों और सेवाओं को विदेशी बाजारों में निर्यात करने में अपेक्षित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है।

(iv) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी एमएसएमई क्षेत्र के लिए दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक बढ़ाया गया है।

(v) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआइईएस) और बाजार अभिगम पहल (एमएआइ) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है।

(vi) वस्त्र क्षेत्र की श्रम उन्मुख कुछ वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07 मार्च, 2019 से लागू की गई है।

(vii) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01 जनवरी, 2021 से लागू की गई है। वर्तमान में, 10,642 टैरिफ लाइनें (8–अंकीय आइटीसी (एचएस) कोड) इस स्कीम के अंतर्गत शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आरओडीटीईपी स्कीम के लिए बजट आवंटन 16,575 करोड़ रुपये है। आरओडीटीईपी स्कीम का लाभ घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) इकाइयों से निर्यात के लिए 30 सितम्बर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

(viii) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

(ix) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अवरोधों को दूर करने और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए निर्यात हब के रुप में जिले पहल की शुरुआत की गई है।

(x) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सूचना और मध्यस्थता मंच के रूप में ट्रेड कनेक्ट

ई–प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो एमएसएमई निर्यातकों के लिए व्यापक सेवाएं प्रदान करने हेतु विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और वाणिज्य विभाग के पदाधिकारी तथा अन्य संगठनों के अधिकारियों को एक साथ लाता है।

(xi) एमएसएमई निर्यातकों के सामने आने वाली लॉजिस्टिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार ने कई रणनीतिक उपाय किए हैं। उल्लेखनीय रूप से, अवसंरचना के एकीकरण को बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता में सुधार करने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया गया। गतिशक्ति प्लेटफॉर्म रेलवे और रोडवेज सहित प्रमुख मंत्रालयों को एकीकृत योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक साथ लाता है। मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है, जिसका उद्देश्य परिवहन के विभिन्न साधनों में माल, सेवाओं और लोगों की निर्बाध और कुशल आवाजाही प्रदान करना है। इससे एमएसएमई निर्यातकों के लिए पारगमन और डिलीवरी की समयसीमा को आसान बनाने में मदद मिल सकती है।

(घ) और (ड.) भारत ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सभी व्यापार समझौतों में, भारत को इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिए बाजार अभिगम बढ़ाने के लिए तरजीही लाभ दिए गए हैं। इंजीनियरिंग वस्तुओं और संबद्ध क्षेत्रों के लिए साझेदार देशों द्वारा भारत को दी जाने वाली प्रशुल्क अनुसूचियां वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन समझौतों में व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) पर प्रावधान भी शामिल हैं ताकि प्रत्येक पक्ष के मानकों, तकनीकी नियमों और अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं और पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों की आपसी समझ को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, इन समझौतों के तहत गैर–तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं, जिससे भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिए इन निर्यात बाजारों तक आसान और अधिक प्रभावी अभिगम की सुविधा मिल सके।

*****